अध्याय 17

लहू की पवित्रता

लैव्यव्यवस्था 17 लेख के दूसरे बड़े भाग को आरम्भ करता है, जो पुस्तक के अन्त तक चलता है। पहला भाग पवित्रता *तक जाने वाले* मार्ग पर विचार करता है; दूसरा, पवित्रता *के* मार्ग पर।[1] अध्याय 1 से लेकर 16 तक यहोवा की आज्ञाएँ इस्राएल को प्रकट की गई हैं और यह कि वे किस प्रकार एक पवित्र देश बन सकते थे, विशेषतः बलिदान और विधिपूर्ण शुद्धिकरण के द्वारा। अध्याय 17 से लेकर 27 में पाए जाने वाले परमेश्वर के निर्देशों ने परमेश्वर के लोगों को दिखाया नैतिक और आचार सम्बन्धी उसकी आज्ञाओं के पालन करने के द्वारा किस प्रकार एक पवित्र देश के रूप में जीवन बिताया जाए।[2]

दूसरे भाग का पहला अध्याय लहू की बात करता है। इसमें एक अविस्मरणीय कथन पाया जाता है: "क्योंकि शरीर का प्राण लहू में है" (17:11)। यह बलि किए गए पशुओं का लहू था जिसका परिणाम इस्राएल का प्रायश्चित्त था, और इसी कारण वह इस्राएल के एक "पवित्र देश" बनने के लिए उत्तरदायी था। यह उपयुक्त है कि इस्राएल को दिए गए पहले नियम परमेश्वर के लोगों के पवित्र बने रहने के नियम लहू से सम्बन्धित थे।

इन नियमों का सम्बन्ध शुद्ध पशुओं की मृत्यु से था, इसमें घरेलू पशु सम्मिलित थे (जिन्हें बलिदान के रूप में उपयोग किया जा सकता था) और वन पशु (जो इस्राएलियों के द्वारा खाए जा सकते थे परन्तु उन्हें बलिदान के रूप में नहीं चढ़ाया नहीं जा सकता था)। अध्याय 17 तीन प्रकार की बात करता है जिनसे पशुओं का लहू बहाया जाता था, मरते थे: (1) वे बलिदान के रूप में घात किए जा सकते थे या सम्भवतः भोजन के रूप में उपयोग किए आ सकते थे, (2) उन्हें शिकार किया जा सकता था और मारा जा सकता था, (3) वे अन्य कारणों से भी मर सकते थे। जानवरों की हत्या के संबंध में नियमों के केंद्र में यह नियम था कि लोग किसी भी जीव का लहू नहीं खा सकते थे, क्योंकि "शरीर का प्राण लहू में है" (17:11)।

परिचय (17:1, 2)

[1]फिर यहोवा ने मूसा से कहा, [2]"हारून और उसके पुत्रों से और सब इस्राएलियों से कह कि यहोवा ने यह आज्ञा दी है... ।"

नियमों का परिचय उनकी उत्पत्ति की पहचान के साथ दिया गया है।

आयतें 1, 2. शब्द घोषणा करता है कि नियम इसके बाद दिए गए थे वे **यहोवा**

के द्वारा मूसा को दिए गए थे। इसके बाद उसे **हारून और उसके पुत्रों** (इस्राएल के याजकों) **से और इस्राएल के सभी पुत्रों से** बात करनी थी। ये केवल याजकीय आचरण को नियन्त्रित करने वाले निरे नियम नहीं थे; सभी लोगों को इनका ज्ञान होना था और इनका अनुसरण किया जाना था। इनकी मंशा व्यक्तिगत इस्राएलियों के आचरण को आकार देने की थी।

बलिदान के रूप में घात किए जाने वाले घरेलू पशु (17:3-9)

3"इस्राएल के घराने में से कोई मनुष्य हो जो बैल या भेड़ के बच्चे, या बकरी को, चाहे छावनी में चाहे छावनी से बाहर घात करके 4मिलापवाले तम्बू के द्वार पर, यहोवा के निवास के सामने यहोवा को चढ़ाने के निमित्त न ले जाए, तो उस मनुष्य को लहू बहाने का दोष लगेगा; और वह मनुष्य जो लहू बहानेवाला ठहरेगा, वह अपने लोगों के बीच से नष्ट किया जाए। 5इस विधि का यह कारण है कि इस्राएली अपने बलिदान जिनको वे खुले मैदान में वध करते हैं, वे उन्हें मिलापवाले तम्बू के द्वार पर याजक के पास, यहोवा के लिये ले जाकर उसी के लिये मेलबलि करके बलिदान किया करें; 6और याजक लहू को मिलापवाले तम्बू के द्वार पर यहोवा की वेदी के ऊपर छिड़के, और चरबी को उसके सुखदायक सुगन्ध के लिये जलाए। 7वे जो बकरों के पूजक होकर व्यभिचार करते हैं, वे फिर अपने बलिपशुओं को उनके लिये बलिदान न करें। तुम्हारी पीढ़ियों के लिये यह सदा की विधि होगी। 8तू उनसे कह कि इस्राएल के घराने के लोगों में से या उनके बीच रहनेवाले परदेशियों में से कोई मनुष्य क्यों न हो जो होमबलि या मेलबलि चढ़ाए, 9और उसको मिलापवाले तम्बू के द्वार पर यहोवा के लिये चढ़ाने को न ले आए; वह मनुष्य अपने लोगों में से नष्ट किया जाए।"

"लहू" इस अध्याय का प्रधान विषय है। इसके नियमों का सम्बन्ध मनुष्य के लहू के बहाए जाने से नहीं है, बल्कि पशुओं के लहू बहाए जाने- या उनकी मृत्यु से है, जो वाही विचार है। शब्द पहले घरेलू पशुओं के घात किए जाने की चर्चा करता है।

आयतें 3, 4. NASB, 17:3, 4 यह कहता हुआ प्रतीत होता है कि **निवासस्थान** के अलावा जहाँ उसे घात किया जाना था किसी इस्राएली के द्वारा भोजन या बलि के लिए और कहीं कोई भी पशु नहीं घात किया जा सकता था। इसी कारण बलिदान किए बिना भोजन के लिए पशु को घात करना वर्जित रहा होगा। इस प्रकार का अर्थ सम्भव प्रतीत होता है जब कोई मन में यह बात रखता है कि इस्राएलियों ने जंगल में निरन्तर मांस नहीं खाया क्योंकि उनके पास खाने के लिए मन्ना था और नियमित तौर पर खाने के लिए पशु अधिक मूल्यवान थे।

यदि ये मामला था, तो यह वाक्यांश व्यवस्थाविवरण 12:15, 20, 21 के कथनों का विरोध करता हुआ प्रतीत होता है। वहाँ पर आज्ञाओं में इस्राएलियों को सामान्य भोजन पर अपनी इच्छा के अनुसार कभी भी और कहीं भी पशुओं को

मारने और खाने की अनुमति थी। फिर भी, इस सन्दर्भ में आयतों ने परमेश्वर को चढ़ाए गए बलिदानों को एक केन्द्रीय पवित्रस्थान तक सीमित कर दिया:

> "और तुम निडर रहने पाओ, तब जो स्थान तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने के लिये चुन ले उसी में तुम अपने होमबलि, और मेलबलि, और दशमांश, और उठाई हुई भेंटें; और मन्नतों की सब उत्तम- उत्तम वस्तुएँ जो तुम यहोवा के लिये संकल्प करोगे, ... और सावधान रहना कि तू अपने होमबलियों को हर एक स्थान पर जो देखने में आए न चढ़ाना; परन्तु जो स्थान तेरे किसी गोत्र में यहोवा चुन ले वहीं अपने होमबलियों को चढ़ाया करना, और जिस-जिस काम की आज्ञा मैं तुझ को सुनाता हूँ उसको वहीं करना।" (व्यव. 12:11-14)।

सम्भवतः व्यवस्थाविवरण 12:15, 20, 21 - जिसने इस्राएलियों को कहीं भी सामान्य भोजों के लिए पशुओं को मारकर खाने की अनुमति दी थी - परमेश्वर के द्वारा उसके पहले दिए गए नियम में संशोधन को दर्शाता है। यह परिवर्तन इस्राएल के प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने के निकट होने पर आधारित रहा होगा।[3]

दोनों वाक्यांशों में इस प्रत्यक्ष भिन्नता के लिए एक और सम्भव व्याख्या यह कि इब्रानी शब्द זָבַח *(शाकात)*, जिसका अनुवाद आयत 3 में **घात करता है** में किया गया है, "यह व्यवहारिक रूप से सदैव बलिदान के लिए पशुओं को मरने के लिए उपयोग किया गया है।"[4] 3 और 4 आयतों के लिए, NIV में निम्नलिखित है:

> "इस्राएल के घराने में से कोई मनुष्य हो जो बैल या भेड़ के बच्चे, या बकरी को, चाहे छावनी में चाहे छावनी से बाहर *घात* करके मिलापवाले तम्बू के द्वार पर, यहोवा के निवास के सामने यहोवा को चढ़ाने के निमित्त न ले जाए, तो उस मनुष्य को लहू बहाने का दोष लगेगा; और वह मनुष्य जो लहू बहानेवाला ठहरेगा, वह अपने लोगों के बीच से नष्ट किया जाए" (बल दिया गया है)।

यदि यह अनुवाद सही है, तो फिर यह वाक्यांश सामान्य तौर पर यह कह रहा है कि जो कोई भी पवित्रस्थान के अलावा कहीं और पशु को बलि करता वह दोषी ठहरता।

किसी भी मामले में, इस नियम का मुख्य उद्देश्य पवित्रस्थान में बलिदानों का केन्द्रीयकरण करने की आवश्यकता थी। यदि कोई इस नियम का पालन नहीं करता था तो, उसका कार्य **लहू बहाने का दोष माना जाता था**, और उसे **उसके लोगों के मध्य से नष्ट कर दिया जाता था**।

"लहू बहाने का दोष" का उपयोग आम तौर पर एक मनुष्य के द्वारा अनुचित तौर पर एक दूसरे मनुष्य की हत्या के सन्दर्भ में किया गया है। यह कठोर अभिव्यक्ति इस उदाहरण में यहोवा की आज्ञा का पालन न करने की गम्भीरता पर बल देने के लिए उपयोग की गई है। यदि कोई किसी पशु को छावनी के बाहर घात करता, यह अनुचित तरीके से एक मनुष्य की हत्या करने के समान ही बुरा था।

"नष्ट किए जाने" का क्या अर्थ है यह अस्पष्ट है। यह पूरे वंश के नष्ट किए जाने

का संकेत कर सकता है। एक अन्य विचार यह है कि यह समाज से बहिष्कार किए जाने का सन्दर्भ देता है। एक तीसरी सम्भावना यह है कि यह एक मृत्यु दण्ड की घोषणा करता है जो स्वयं परमेश्वर के द्वारा दिया जाता था। यह अन्तिम विकल्प अधिक सम्भव है।

आयत 5. इसका कारण यह है कि, आयत के आरम्भ में यह उपवाक्य अस्पष्ट है। इब्रानी शब्द में "ताकि" है, जो यह संकेत दे सकता है कि एक पशु को घात करना और उसे पवित्रस्थान में न चढ़ाने के कारण लोगों के बीच में से नष्ट किया जाने की मंशा (आयत 3 और 4 का तात्पर्य) इस्राएलियों को उनके पशु पवित्रस्थान में लाकर उन्हें वहाँ चढ़ाने की शिक्षा देना था।

यहाँ पर पाए जाने वाले नियम स्पष्ट तौर पर इस्राएलियों को **खुले मैदानों** म पशुओं को बलि करने से रोकने के लिए थे। क्यों? परमेश्वर न केवल उनकी आराधना को हाल ही में बने निवासस्थान तक केन्द्रित करना चाहता था, बल्कि वह उनकी आराधना को मूर्ति पूजा के द्वारा भ्रष्ट किए जाने से सुरक्षित रख रहा था। जब वे अपने स्वदेशी भाइयों से दूर होते, तो यह परीक्षा और भी बड़ी होती थी जितना कि वह उनके पवित्रस्थान में बलिदान चढ़ाने पर होती। हालाँकि शब्द में इसका वर्णन किया गया है, कि जब वे "खुले मैदानों" में बलि चढ़ाते थे तो याजकों को उनके भाग से वंचित होना पड़ता था। इस प्रकार के बलिदानों से मिलने वाला मांस याजकों के समाज को दिए जाने वाले सहयोग का एक महत्वपूर्ण भाग था।

इस्राएलियों को **यहोवा** के पास **मिलाप वाले तम्बू के द्वार पर** बलिदान लेकर आने पड़ते थे। वे उनकी **मेलबलियों** को घात करने के लिए स्वयं उत्तरदायी थे (3:2)।

आयत 6. याजक मेलबलि **का लहू वेदी पर छिड़कता** और उसकी **चर्बी** उस पर जलाता था। हालाँकि, मांस को याजकों के बीच (और उनके परिवारों) और चढ़ाने वाले (उसके परिवार और उसके मित्रों के साथ भी) बाँट लिया जाता था।

आयत 7. निवासस्थान में चढ़ाए जाने वाले ये बलिदान **बकरे की दुष्टात्माओं** को चढ़ाए जाने वाले सभी बलिदानों का स्थान लेने पर थे। इसका अर्थ यह कि इस्राएली बकरे की दुष्टात्माओं को बलिदान चढ़ाकर **वेश्यावृत्ति** कर रहे थे, सम्भवतः "खुले मैदानों में" (17:5)।

इस्राएल के द्वारा मूर्तियों की आराधना को पुराने नियम में प्रायः "वेश्यावृत्ति" कहा गया है। विचार यह है कि परमेश्वर ने इस्राएल को अपनी पत्नी के रूप में लिए था, और उसके साथ वाचा बाँधी थी। जब वह पराए देवताओं के पीछे चली गई, तो यह इसके समान था कि मानो वह पराए प्रेमियों के पीछे जा रही थी और उनके साथ व्यभिचार कर रही थी, और इसलिए "एक वेश्या" बन रही थी। यह उपमा होशे की पुस्तक की प्रमुख विशेषता है।

अन्य संस्करणों में "बकरे की दुष्टात्माओं" की बजाए "दुष्टात्माएं" (NKJV), "बकरे की मूर्तियाँ" (NIV), और "वन देवता" (RSV) हैं। क्लाइड एम. वुड्स ने टिप्पणी की,

जिस शब्द का "वनदेवता" में अनुवाद किया गया है वह *सेरिरीम* है और जिसका सामान्य तौर पर अर्थ "बकरे" है परन्तु इसे एक अन्य प्रकार की दुष्टात्मा के नामकरण के लिए भी उपयोग किया गया है जिसके विषय में प्रख्यात तौर पर यह विश्वास किया जाता था कि वह रेगिस्तानों में रहती थी। [देखें यशायाह 13:21; 34:14; 2 इतिहास 11:15.] इस्राएली इन "मैदानों की दुष्टात्माओं" को बलिदान चढ़ाने के लिए ललचाए रहते थे, सम्भवतः यह उनके बुरे प्रभावों से बचने का एक प्रयास था।[5]

दुष्टात्माओं को चढ़ाए जाने वाले बलिदानों का यह विवरण पाठक को अचरज में डाल सकता है, चूंकि लैव्यव्यवस्था में अभी तक इस्राएल के मूर्ति पूजा करने के द्वारा पाप करने के विषय में बात नहीं की गई है। हालाँकि, इस्राएल के द्वारा सोने के बछड़े की आराधना करना (निर्गमन 32) इन नियमों के दिए जाने से कुछ अधिक महीने पहले नहीं घटा था। परमेश्वर के नियम यहाँ पर यह स्पष्ट करते हैं कि इस्राएल को कभी भी मूर्तिपूजा नहीं करनी थी **उनकी पीढ़ियों तक**, और तब तक जब तक कि उसके और उसके लोगों के बीच की वाचा प्रभाव में बनी रहती।

आयतें 8, 9. इस वाक्यांश कि अन्तिम दो आयतें उस सत्य पर बल देती हैं जो पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है। मूसा को लोगों को यह बताना था कि जो कोई भी **मिलाप वाले तम्बू के द्वार** पर लाए बिना और वहाँ पर इसे **यहोवा** को चढ़ाए बिना कोई भी **बलिदान** चढ़ाता तो उसे **उसके लोगों के बीच से नष्ट किया जाना था**।

रोचक तौर पर, व्यवस्था ने यह स्पष्ट किया कि इसके नियम केवल इस्राएल मूल में जन्मे लोगों के लिए नहीं थे, बल्कि **उन परदेशियों के लिए भी जो उनके बीच रहा करते थे** (देखें 17:10, 12, 13, 15)। यह अभिव्यक्ति पाठक को यह स्मरण करवाती है, कि मिस्र से बच निकलने में, परदेशियों (गैर-इस्राएलियों) की एक "मिश्रित भीड़" इस्राएलियों के साथ थी (निर्गमन 12:38)। इन "परदेशियों" का वर्णन इस सन्दर्भ में यह संकेत कर सकता है कि उनके वे बातें करने की सम्भावना अधिक थी जिन्हें न करने के लिए इस्राएल को आज्ञा दी गई थी। यहाँ पर पाए जाने वाले प्रतिबन्धों की मंशा उन्हें इस्राएल को भटकाने से रोकने की थी।

मूसा की व्यवस्था में, परमेश्वर ने इस्राएलियों से इन "परदेशियों" के साथ ठीक व्यवहार करने को कहा था। उदाहरण के लिए, उसने कहा, "जो परदेशी तुम्हारे संग रहे वह तुम्हारे लिये देशी के समान हो, और उससे अपने ही समान प्रेम रखना; क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेशी थे; मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ" (19:34)।

इन "अपरिचितों" या "परदेशियों" ने इस्राएल के नागरिकों के समान व्यवहार किए जाने के लिए एक मूल्य चुकाया: वे इस्राएल को दिए गए कुछ नियमों के अधीन थे। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वे किस धर्म के थे, उन्हें इस्राएलियों के समान ही, पवित्रस्थान के अलावा और कहीं भी यहोवा को बलिदान चढ़ाने से मना किया गया था। सम्भवतः उन्हें "बकरे की दुष्टात्माओं" और अन्य झूठे देवताओं को बलिदान चढ़ाने की अनुमति नहीं थी। जो ऐसा करते वे इस्राएलियों के समान ही दण्ड के पात्र थे। एक परदेशी जिसने इस्राएल में रहने का

चुनाव किया था उसके जीवन को इस्राएलियों के द्वारा आशीष दी जानी थी; परन्तु यदि वह इन नियमों से किसी एक को तोड़ता था तो उसे उसी इस्राएली के समान दण्ड दिया जाता था जिसने इन नियमों में से एक को तोड़ा था। गैर-इस्राएलियों का परमेश्वर के लोगों के मध्य रहने के लिए स्वागत था जितने समय तक वे उनके मध्य रहे व्यवस्था की सीमाएं उनके ऊपर लागू रहीं।

लहू को खाने का प्रतिबन्ध (17:10-12)

[10]"फिर इस्राएल के घराने के लोगों में से या उनके बीच रहनेवाले परदेशियों में से कोई मनुष्य क्यों न हो जो किसी प्रकार का लहू खाए, मैं उस लहू खानेवाले के विमुख होकर उसको उसके लोगों के बीच में से नष्ट कर डालूँगा। [11]क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है; और उसको मैं ने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिये दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिये प्रायश्चित्त किया जाए; क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित्त होता है। [12]इस कारण मैं इस्राएलियों से कहता हूँ कि तुम में से कोई प्राणी लहू न खाए, और जो परदेशी तुम्हारे बीच रहता हो वह भी लहू कभी न खाए।"

अध्याय 17 के केंद्र में एक महत्वपूर्ण नियम पाया जाता है जो इस्राएलियों को किसी भी पशु का लहू खाने से प्रतिबन्धित करता था।

आयतें 10-12. यह अनुच्छेद तीन उद्देश्यों को पूरा करता है। पहला यह लहू खाने से सम्बन्धित नियम को दोहराता है: **कोई भी लहू को ना खाए।** यही नियम लैव्यव्यवस्था में पहले भी पाया जाता है (3:17; 7:26, 27), परन्तु इसकी उत्पत्ति जल प्रलय के बाद परमेश्वर के द्वारा दिए गए नियमों में हुई थी (उत्पत्ति 9:3, 4)। व्यवस्था का यह पुनः कथन इस बात को तय करता है कि यह परमेश्वर के लोगों के मध्य रहने **परदेशियों** (गैर-इस्राएलियों) के साथ-साथ **इस्राएल के घराने** पर भी लागू होता था (17:10, 12)।

दूसरा, यह वाक्यांश इस प्रतिबन्ध का कारण भी देता है। एक व्यक्ति को लहू इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि **शरीर का प्राण[6] लहू में रहता है।** ये प्राचीन शब्द इस मेडिकल/वैज्ञानिक तथ्य को मान्यता प्रदान करते हैं कि लहू जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। कोई भी एक पाँव या भुजा खोकर जीवित रह सकता है, परन्तु एक मनुष्य उस लहू के बिना जीवित नहीं रह सकता जो उसकी नसों में बहता है। लहू के न खाने के लिए एक अन्य कारण यह भी बताया गया है कि परमेश्वर ने लहू को **वेदी पर** [उनके] **प्राणों के प्रायश्चित्त के लिए दिया** था (17:11)। एक पशु का लहू उसकी मृत्यु में बहाया जाता था, और उसकी मृत्यु उस व्यक्ति के लिए प्रायश्चित्त करती थी जिसने इसे चढ़ाया था क्योंकि उसके स्थान पर पशु मारा गया था। बलि पशु को वह मृत्यु दण्ड मिला था जिसके योग्य आराधक था। इस प्रणाली के पीछे का सत्य यह है कि पाप के लिए उचित दण्ड मृत्यु है।

तीसरा, शब्द प्रतिबन्ध का पालन न करने के दण्ड की घोषणा करता है। जिस

व्यक्ति ने लहू खाया था उसके विषय में, परमेश्वर ने कहा, **"मैं उस लहू खानेवाले के विमुख होकर उसको उसके लोगों के बीच में से नष्ट कर डालूँगा"** (17:10)। इस विधि में लोगों को यह बताना सम्मिलित नहीं कि यदि कोई इस नियम को तोड़े तो उन्हें क्या करना था। बल्कि, इसके बजाए यह कहता है कि परमेश्वर स्वयं लहू खाने वाले व्यक्ति को दण्ड देगा! "उसे उसके लोगों के बीच से नष्ट करने" यदि आप इस नियम को तोड़ते हैं तो आप मृत्यु दण्ड के पात्र हैं, जो स्वयं परमेश्वर के द्वारा दी जाएगी। यदि आप लहू खाते हैं आपके स्वयं के जीवन के लहू को खो देने की सम्भावना है।

शिकारियों के द्वारा मारे गए वन पशु (17:13, 14)

13"इस्राएलियों में से या उनके बीच रहनेवाले परदेशियों में से कोई मनुष्य क्यों न हो जो अहेर करके खाने के योग्य पशु या पक्षी को पकड़े; वह उसके लहू को उंडेलकर धूलि से ढाँप दे। 14क्योंकि शरीर का प्राण जो है वह उसका लहू ही है जो उसके प्राण के साथ एक है; इसी लिये मैं इस्राएलियों से कहता हूँ कि किसी प्रकार के प्राणी के लहू को तुम न खाना, क्योंकि सब प्राणियों का प्राण उनका लहू ही है; जो कोई उसको खाए वह नष्ट किया जाएगा।"

परमेश्वर के प्रकाशन का विषय उन पशुओं से बदलकर जो बलि किए जा सकते थे वन पशुओं (फिर भी शुद्ध) की ओर मुड़ता है। लहू के विषय में चिंता बनी रहती है।

आयतें 13, 14. परमेश्वर ने सम्भवतः यह आशा की थी कि इस्राएली बलिदान के लिए उपयोग न किए जाने वाले वन पशुओं के **लहू** के विषय में विचार करेंगे। सम्भवतः वे पूछेंगे, "यदि हम एक मृग (हिरण) को मारें और खाएं, तो क्या हम उसका लहू खा सकते हैं?" इस प्रकार का प्रश्न वैध ठहरता क्योंकि शुद्ध प्राणियों की सूची में वन पशु और पक्षी भी सम्मिलित थे (देखें व्यव. 14:5)।[7]

इस प्रश्न का उत्तर यह है कि जो नियम घरेलू पशुओं पर लागू होते थे वे ही वन पशुओं पर भी लागू होते थे: उनका लहू खाने के लिए नहीं था। यदि कोई इस्राएली किसी हिरण या मृग को मरता, तो वह पशु का मांस खा सकता था, परन्तु उसका लहू नहीं। लहू को भूमि पर उंडेलना पड़ता था और **धूल** से ढकना पड़ता था।[8] वन पशु के लहू खाने के विरुद्ध नियम घरेलू पशु के लहू के न खाने के समान ही था: क्योंकि **शरीर का प्राण** [चाहे घरेलू या वनपशु] **लहू में है, इसलिए जो कोई** [चाहे इस्राएली या कोई परदेशी] **इसे खाए उसे नष्ट किया जाए।**

वह पशु जो अन्य कारणों से मरा था (17:15, 16)

15"और चाहे वह देशी हो या परदेशी हो, जो कोई किसी लोथ या फाड़े हुए पशु का मांस खाए वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे, और साँझ तक

अशुद्ध रहे; तब वह शुद्ध होगा। [16]परन्तु यदि वह उनको न धोए और न स्नान करे, तो उसको अपने अधर्म का भार स्वयं उठाना पड़ेगा।"

अध्याय में बात की गई अन्तिम श्रेणी में शुद्ध पशु (चाहे वनपशु या घरेलू) सम्मिलित हैं, जिनकी मृत्यु पहले वर्णित कारणों के बजाए किसी भी अन्य कारण से हुई थी।

आयतें 15, 16. अध्याय का यह अन्तिम प्रतिबन्ध **एक पशु** से सम्बन्धित है जो या तो प्राकृतिक तौर पर मरा था या उसे **वन पशुओं के द्वारा फाड़ डाला** गया था। लेवीय व्यवस्था में पहले यह कहा गया था जो कोई ऐसे पशु की लोथ को छूए या उसका मांस खाए जो प्राकृतिक तौर पर मरा था वह उसे अशुद्ध कर देता था (11:39, 40). इसके बाद व्यवस्था यह संकेत करती है कि ऐसे किसी पशु को किस परदेशी को बेचा जा सकता था (लैव्यव्यवस्था 14:21)।

सम्भवतः, अध्याय 17 में चित्रित इस मामले में, जिसने इस तरह के पशु के मांस खा लिया उसने अनजाने में या आवश्यकता में पड़कर किया। ऐसा करने से, वह अशुद्ध हो गया। फिर से शुद्ध होने के लिए, **उसे अपने वस्त्रों को धोना, स्नान करना** और **संध्या तक अशुद्ध रहना पड़ता था।** यह विधि स्पष्ट करती है कि यह **परदेशी** के साथ-साथ **मूल** इस्राएली पर भी लागू होती थी और यह कि जो व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करता वह अपने **अधर्म[9]** का भार स्वयं उठाएगा। दूसरे शब्दों में, वह उसी दण्ड का भागी होगा जिसकी आशा कोई अशुद्ध व्यक्ति कर सकता है।

बलिदान और लहू की चर्चा अचानक समाप्त हो जाती है, और अध्याय 18 में एक नए विषय का परिचय दिया गया है।

अनुप्रयोग

मांस खाना (अध्याय 17)

कुछ लोग आज मांस नहीं खाते वे "शाकाहारी" हैं। उनके कारण अलग-अलग होते हैं; कुछ पर्यावरणीय कारणों से मांस नहीं खाते हैं; उनमें से सभी का मानना है कि मांस से दूर होना शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से उनके लिए बेहतर है।

क्या इस विषय पर बाइबल भी कुछ कहती है? हाँ, बाइबल मांस के खाने का समर्थन करती है। जल प्रलय के बाद, परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार से कहा, "सब चलने वाले जन्तु तुम्हारा आहार होंगे" (उत्पत्ति 9:3)। स्पष्ट है, मूसा की व्यवस्था ने पशुओं मारने और खाने की अनुमति दी। नया नियम यह भी दर्शाता है कि मसीहियों को मांस खाने की अनुमति थी (प्रेरितों 10:9-16; रोमियों 14:2, 3)। यीशु ने अपने चेलों के साथ मछली खाई (लूका 24:41-43; यूहन्ना 21:9-14)। बाइबल के दृष्टिकोण से मांस खाने में कुछ भी गलत नहीं है; परन्तु मांस न खाने का चुनाव करने में भी कुछ गलत नहीं है।

हालाँकि, यह विचार कि मनुष्य और पशु के बीच कोई अन्तर नहीं है, और इसलिए एक पशु की हत्या करना एक मनुष्य की हत्या करने के ही समान गलत है, बाइबल की शिक्षा के विपरीत है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही रूप में सृजा है (उत्पत्ति 1:27), परन्तु ये यह नहीं बताती कि पशुओं को परमेश्वर के रूप में बनाया गया था। मनुष्य को शेष सृष्टि का अधिकारी बनना था, जिसमें पशु भी सम्मिलित थे। उसे पशुओं की करुणा पूर्वक देखभाल करनी थी, परन्तु उसे उन्हें मारने और खाने की अनुमति थी। व्यवस्था के अनुसार यदि कोई मनुष्य किसी अन्य मनुष्य को चुरा लेता (अपहरण कर लेता), चाहे वह उस मनुष्य को अपने दास के रूप में रखता या उसे बेच देता, तो भी दण्ड मृत्यु था (निर्गमन 21:16)। यदि एक मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य के पशु को चुराकर मार डालता या बेच देता, तो इसी के समान उसके लिए भी एक दण्ड सहना पड़ता था - परन्तु वह मृत्यु नहीं था (निर्गमन 22:1)।

समाप्ति नोट्स

[1]कुछ टिप्पणीकार जो मूसा को लैव्यव्यवस्था का श्रेय देने पर संदेह करते हैं, अध्याय 17 से 26 अध्याय "पवित्रता नियम संग्रह" के रूप में संदर्भित करते हैं और दावा करते हैं कि पुस्तक का यह खण्ड मूसा के लगभग एक सहस्राब्दी बाद लिखा गया था। यह विचार कि यह एक अलग दस्तावेज़ था और बाद में पेंटाटुएक में सम्मिलित किया गया था, डॉक्यूमेंटरी हाइपोथिसिस का हिस्सा है। इस सिद्धांत की पूरी तरह से चर्चा कोय डी. रोपर, *निर्गमन*, ट्रूथ फ़ॉर टुडे कमेन्ट्री (सर्ची, आर्क.: रिसोर्स पब्लिकेशन्स, 2008), 651-55 में दी गई है। [2]क्लाइड एम्. वुड्स और जस्टिन. रोजर्स ने टिप्पणी की, "लैव्यव्यवस्था के 1-16 अध्याय पर विचार करते हुए पवित्र परमेश्वर के पास आने कि संस्कार सम्बन्धी एक बड़ी चर्चा के रूप, कोई भी 17-26 अध्याय को पवित्र परमेश्वर के साथ निरन्तर सहभागिता के साधन के रूप में अच्छी तरह से देख सकता है" (क्लाइड एम. वुड्स एंड जस्टिन एम. रोजर्स, *लैव्यव्यवस्था - गिनती,* द कॉलेज प्रेस NIV कमेन्ट्री [जोप्लिन, एम.ओ.: कॉलेज प्रेस पब्लिशिंग को. 2006], 111)। [3]रॉय गेन ने इस दृष्टिकोण का समर्थन किया। (रॉय गेन, लैव्यव्यवस्था, गिनती, द NIV एप्लीकेशन कमेंट्री [ग्रैंड रैपिड्स, मिशिगन: जोंडरवैन, 2004], 301-2.) जेम्स ई. स्मिथ ने भी इस वाक्यांश के दृष्टिकोण को स्वीकार करते हुए लिखा, "किसी भी घरेलू पशु निवासस्थान के क्षेत्र के बाहर नहीं मारा जाना था ... । ऐसा नियम केवल तभी प्रभावी हो सकता है जब मांस खाना एक दुर्लभ विलासिता था और जब हर कोई पवित्रस्थान के निकट रहता था" (जेम्स ई. स्मिथ, *द पेंटाटुएक*, सेकेण्ड एडिशन, ओल्ड टैस्टमैंट सर्वे सीरीज़ [जोप्लिन, एम.ओ.: कॉलेज प्रेस पब्लिशिंग को., 1993], 383)। वॉरिन डब्ल्यू. वियर्सबी की बी होली में भी एक समान दृष्टिकोण दिया गया है (व्हीटन, इलिनोई: विक्टर बुक्स, 1994), 78-79. [4]आर. लैर्ड हैरिस, "लैव्यव्यवस्था", इन *द एक्स्पोसिटर्स बाइबल कमेन्ट्री*, वॉल्यूम 2, *उत्पत्ति - गिनती*, एड, फ्रैंक ई. गैबलीन (ग्रैंड रैपिड्स, मिशिगन: जोंडरवैन पब्लिशिंग हाउस, 1990), 593. गॉर्डन जे. वेन्हम ने कहा, "यह नियम पवित्रस्थान के अलावा और कहीं भी ... मुख्य बलि पशुओं की हत्या को प्रतिबन्धित करता है" (गॉर्डन जे. वेन्हम, *द बुक ऑफ़ लेवीटिकस*, द न्यू इंटरनेशनल कमेन्ट्री ऑन द ओल्ड टेस्टामेंट [ग्रैंड रैपिड्स, मिशिगन: विलियम बी. एर्डमैंस पब्लिशिंग कम्पनी, 1979] 241)। [5]क्लाइड एम. वुड्स, *लैव्यव्यवस्था - गिनती - व्यवस्थाविवरण*, द लिविंग वे कमेन्ट्री ऑन द ओल्ड टेस्टामेंट, वॉल्यूम 2 (श्रेवपोर्ट, एल.ए.: लाम्बर्ट बुक हाउस, 1974), 43. [6]इस अध्याय के दौरान जिस इब्रानी शब्द का अनुवाद "जीवन" में किया गया है वह נֶפֶשׁ *(नेफेश)* शब्द है, जिसका अर्थ "प्राण" और इसके साथ ही "जीवन" भी हो सकता है। [7]व्यवस्थाविवरण 14:11 और 20 कहता है कि इस्राएली कोई भी "शुद्ध

पक्षी खा सकते थे," परन्तु ये आयतें यह स्पष्ट नहीं करती कि कौन से पक्षी "शुद्ध" थे। अशुद्ध पक्षियों की एक लम्बी सूची (व्यव. 14:12-19), देने के द्वारा, शब्द यह संकेत करता है अन्य प्रकार के सभी पक्षी शुद्ध थे और खाए जा सकते थे। लैव्यव्यवस्था 11:13-19 इसी के समान है। [8]यह नियम बताता है कि पशु के लहू के न खाने में क्या सम्मिलित था। नियम विशेष रूप से वह मांस खाने से रोकता जिससे लहू ठीक से नहीं निकला था है। यदि शिकार के परिणामस्वरूप एक पशु की मृत्यु हो गई थी, तो उसे लटका दिया जाना चाहिए था और उसके गले को काट दिया जाता था (या इसी के समान कुछ किया जाता था) ताकि सारा लहू (या लगभग सभी) शरीर से बाहर निकल जाए इससे पहले कि इसे खाया जा सके। यहूदी आज एक जानवर के मांस के बारे में बात करते हैं जिसे *कोशेर* के रूप में ठीक से घात किया गया है, जिसका अर्थ है "विधिपूर्ण रूप से शुद्ध।" [9]"दोष (अधर्म)" में अनुवाद किए गए इब्रानी शब्द (עָוֹן, *'अवोन)* को "अपराध" में भी अनुवाद किया जा सकता है।